न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2023/121

सिविल प्रकरण संख्याः— 70/2023 तारीख रजू 05.10.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. अशोक शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा, निवासी प्लाट नं. 11, आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर मैसर्स बालाजी दूध डेयरी, आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर
2. Rishabh Jain s/o Prem Chand Jain, 21 Riddhi Siddhi Enclave opp. Exotica Garden Bundi Road, Kunhadi Shambhoopura, Thermal colony Kota (RAJ) m/s Rishabh Enterprises, Kota (Raj.)

.........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः— **दिनांक 08.01.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत दिनांक 02.06.2023 को मैसर्स बालाजी दूध डेयरी आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुँचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं का आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) 1 Ltr. के पैकेटस में विक्रय हेतु रखे हुए थे। Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) 1 Ltr. के पैकेटस में मिलावट का अंदेशा होने पर Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) 1 Ltr. के पैकिंग के 04 पैकेटस को खरीदे उसकी कीमत 600/— रूपये विक्रेता अशोक शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान हेमराज शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अशोक शर्मा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा Refin[illegible] (Makhan Kanhaiya) 1 Ltr. के पैकिंग के 04 पैकेटस को मूल ही लेकर 04 [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-2888** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **H-2888** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर छः की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/860 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/2290/एक्ट/2023/2205 दिनांक 14.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) 1 Ltr. Substandard होना पाया गया है।

मैसर्स बालाजी दूध डेयरी बजरिया सवाई माधोपुर द्वारा मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेज कोटा राजस्थान के दस्तावेज जरिये वाट्सअप पर भिजवाये जोकि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1002 दिनांक 04.10.23 के द्वारा उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) 1 Ltr. का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 स्वयं तथा अभियुक्त संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जबाव पेश किया गया। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा प्रकरण में बिना जवाब पेश किये सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **Sub-Standard**, Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने प्रस्तुत जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण गलत रूप से पेश किया गया है। अभियुक्त संख्या 1 मात्र अभियुक्त संख्या 2 के माल का खुदरा/खेरूज विक्रेता है। अभियुक्त संख्या 1 उक्त रिफाइन्ड पाम ऑयल (माखन कन्हैया) अभियुक्त संख्या 2 से खरीद कर पैक डिब्बे विक्रय करता है। अभियुक्त संख्या 1 उक्त माल का निर्माता नहीं है जो भी जिम्मेदारी निर्माण की है वह अभियुक्त संख्या 2 की है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त ब्राण्ड अभियुक्त संख्या 2 की फर्म द्वारा ही तैयार किया जाता है। अतः प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध खारिज फरमाने की कृपा करें।

अभियुक्त सं0 2 ने जरिये वकील बहस में तर्क दिया कि उक्त माल हमारी फर्म द्वारा अभियुक्त सं0 1 को नहीं दिया गया है। अभियुक्त सं0 1 से प्राप्त बिल जो पत्रावली में संलग्न है, उनकी फर्म द्वारा जारी नहीं किया गया है। बिल पर जारी करने की दिनांक नहीं है। अन्त में वकील अभियुक्त सं0 2 ने प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2290/एक्ट/2023/2205 दिनांक 14.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) **Sub-Standard** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R.Reading at 50.0^{0}C results 49.8 आई है जोकि 35.5 to 44.0 होनी चाहिए थी। इसके साथ ही नमूने में Iodine value results 60.96 आई है जोकि 46.0 to 56.0 होनी चाहिए थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है। वकील अभियुक्त संख्या 2 ने दौराने बहस उक्त बिल अभियुक्त संख्या 2 की फर्म से जारी होना तो माना किन्तु उनके द्वारा यह कथन कि उक्त बिल पर दिनांक नहीं है जिससे यह पता नहीं चलता है कि अभियुक्त संख्या 1 से लिये गये उक्त नमूना उनकी फर्म का हो, मान्य नहीं है। क्योंकि उक्त ब्राण्ड का उत्पादन अभियुक्त संख्या 2 की फर्म द्वारा ही किया जाता है। यदि उक्त नमूना उनके फर्म के ब्राण्ड माखन कन्हैया का नहीं है तो उनके द्वारा इस संबध में अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध कोई भी अग्रिम कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस प्रकार उक्त नमूने के बिल में मात्र दिनांक अंकित नहीं होने से अभियुक्त संख्या 2 की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है जबकि बिल दिनांक सहित जारी करना अभियुक्त संख्या 2 की फर्म की जिम्मेदारी बनती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने [illegible] अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति [illegible] अपराध [illegible] करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Refined Palm Oil (Makhan Kanhaiya) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000 रू0 (अक्षरे – दस हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 2 पर 10,000 रू0 (अक्षरे – दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये रजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.01.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:33 IST
Reason: SelfAttested